जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

प.1(1) नागरिक सेवा केन्द्र/जविप्रा/2019/डी–100 दिनांकः 19/02/2020

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश कमांक प.1 (8) नागरिक सेवा केन्द्र/ जविप्रा/ 2019/ डी–627 दिनांकः27.11.2019 की पालना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लीजडीड (पट्टा) आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाईन प्रारम्भ की गई है। ऑनलाईन लीजडीड (पट्टा) प्रकरणो मे जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किए गए प्रपत्र –1 प्रपत्र–2,प्रपत्र–3 एवं प्रपत्र–4 आवश्यकतानुसार आवेदक द्वारा ऑनलाईन अपलोड कराये जाते है। उल्लेखनीय है कि पूर्व मे जब लीजडीड(पटटा) आवेदन की प्रकिया ऑफलाईन थी तब आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आवेदन पत्र के साथ जमा कराया जाता था लेकिन लीजडीड (पट्टा) के ऑनलाईन आवेदन सम्बन्धी आदेश में क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आवश्यक दस्तावेजो की सूची मे शामिल किये जाने से सहवन से रह गया।

अतः भविष्य मे ऑनलाईन लीजडीड (पट्टा) आवेदन की प्रक्रिया मे पृथ्वीराज नगर योजना को छोडकर शेष समस्त प्रकरणों में आवेदक से लिये जाने वाले दस्तावेजो के साथ क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र रूपये 200.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिये जाने का प्रारूप प्रपत्र (5) पर संलग्न है। एवं पृथ्वीराजनगर योजना के लीजडीड (पटटा) आवेदन प्रकरणो मे क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र रूपये 200.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर लिये जाने का प्रारूप प्रपत्र (6) पर संलग्न है।

ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होगे ।

(अर्चना सिंह)
सचिव

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन/भूमि/एलपीसी/पीआरएन/पुनर्वास/पूर्व/पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय/सिस्टम मैनेजमेंट), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन–1 से 14, पीआरएन–उत्तर/दक्षिण, प्रशासन, जॉच, स्टोर, वाहन, रिकॉर्ड, पीपीसी, आरमएसी, एसएम जविप्रा,
6. सिस्टम एनालिस्ट,कृपया वेबसाईट पर अपलोड करें । आवश्यक दस्तावेजो की सूची को अपडेट करावें जविप्रा, जयपुर।
7. प्रभारी अधिकारी,नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा जयपुर।
8. समस्त सलाहाकार, नागरिक सेवा केन्द्र,मुख्यालय,चित्रकूट व मानसरोवर जविप्रा, जयपुर।

(गिरि राज अग्रवाल)
संयुक्त आयुक्त (सिस्टम मैनेजेमेंट)

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-{+91-141-2569696} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {5100}:

प्रपत्र – 5

रू. 200/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर।

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ....निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की योजना .... की भूमि के नियमन एवं पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और मैं उक्त निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना .... का भूखण्ड संख्या .... आवंटी एवं कब्जाधारी हूँ या खातेदार से क्रय किये गये भूखण्ड का स्वामित्वधारी हूँ। इस कारण उक्त हैसियत से मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन की जाने वाली या पट्टा जारी करने की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी समिति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर जविप्रा को यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो उक्त राशि को या गणना की त्रुटि या अन्यथा कोई राशि वसूल योग्य निकली है तो वह मेरे से पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

अतः यह क्षतिपूर्ति बंधक पत्र मैंने निजी खातेदारी/गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना .... के भूखण्ड संख्या .... के स्वामित्वधारक एवं कब्जाधारी या भूखण्ड के क्रेता की हैसियत से निष्पादन व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करवा दिया है जो कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए।

इस भूखण्ड के पेटे किसी प्रकार की देय राशि बकाया के भुगतान हेतु मैं जिम्मेदार रहूंगा उक्त राशि मुझसे नियमानुसार वसूली होगी।

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

नाम /आवंटी/कब्जाधारी..................................

पिता/पति का नाम ....

प्लाट नंबर ....

स्कीम ....

गवाह

1. हस्ताक्षर
नाम व संपूर्ण पता ....
व्यवसाय ....

2. हस्ताक्षर
नाम व संपूर्ण पता ....
व्यवसाय ....

प्रपत्र-6

रू. 200/— के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर।

क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र

चूंकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा .... गृह निर्माण सहकारी समिति जयपुर की योजना .... की भूमि के नियमन एवं पट्टा विलेख जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है और मैं उक्त गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना .... का भूखण्ड संख्या .... आवंटी एवं कब्जाधारी हूँ या खातेदार से क्रय किये गये भूखण्ड का स्वामित्वधारी हूँ। इस कारण उक्त हैसियत से मैं अपने आप को वचनबद्ध करता हूँ कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमन की जाने वाली या पट्टा जारी करने की कार्यवाही के परिणाम स्वरूप किसी समिति या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी कानूनी विवाद को लेकर जविप्रा को यदि किसी प्रकार की आर्थिक हानि होती है तो उक्त राशि को या गणना की त्रुटि या अन्यथा कोई राशि वसूल योग्य निकली है तो वह मेरे से पी.डी.आर. एक्ट के तहत वसूल की जा सकेगी।

इसके साथ ही मै अपने आपको यह भी वचनबद्ध करता हूँ कि माननीय उच्च न्यायालय मे लम्बित वाद संख्या 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में भूखण्ड संख्या................. से संबंधित भूमि का कोई भी विपरीत निर्णय होता है तो मुझे मान्य रहेगा। अर्थात मुझे जारी किये जाने वाला पट्टा उक्त न्यायालय में लम्बित वाद के निर्णय के अधीन रहेगा।

अतः यह क्षतिपूर्ति बंधक पत्र मैंने गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना .... के भूखण्ड संख्या .... के स्वामित्वधारक एवं कब्जाधारी या भूखण्ड के क्रेता की हैसियत से निष्पादन व हस्ताक्षरित करके प्रमाणित करवा दिया है जो कि सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए।

.इस भूखण्ड के पेटे किसी प्रकार की देय राशि बकाया के भुगतान व क्षतिपूर्ति हेतु मैं विधिक रूप से बाध्य तथा जिम्मेदार रहूंगा उक्त राशि मुझसे नियमानुसार वसूली होगी।

हस्ताक्षर

नाम /आवंटी/कब्जाधारी.................................

पिता/पति का नाम ....

प्लाट नंबर ....

स्कीम ....

दिनांक

स्थान

गवाह

1. हस्ताक्षर
नाम व संपूर्ण पता ....
व्यवसाय ....

2. हस्ताक्षर
नाम व संपूर्ण पता ....
व्यवसाय ....